इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 438]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 नवम्बर 2019—कार्तिक 15, शक 1941

परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2019

क्र. एफ-22-18-2018-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 96 की उपधारा (2) के खण्ड (तैंतीस) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 में पूर्व प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 76 में, उपनियम (1) में, अंक और शब्द ''25 किलोमीटर'' के स्थान पर, अंक और शब्द ''250 किलोमीटर'' स्थापित किए जाएं.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष भार्गव, उपसचिव.

Bhopal, the 5th November 2019

No. F-22-18-2018-VIII.—In exercise of the powers conferred by clause (xxxiii) of sub-section (2) of Section 96 of Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, the same has been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary), dated 26th December, 2018 as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rules 76, in sub-rule (1), for the figure and word "25 Kilometers" the Figure and word "250 Kilometers" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHISH BHARGAVA, Dy. Secy.

875